	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 23, मंगलवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 15, 2019 *Asvina 23, Tuesday, Saka 1941–October 15, 2019*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 3, 2019

संख्या प.4(24)कृषि/ग्रुप-2/2019 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 06.07.1966 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (फल और सब्जी), जयपुर की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति (फल और सब्जी), जयपुर द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम जमवारामगढ में गौण मण्डी घोषित करने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम जमवारामगढ में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएँ निम्नांनुसार होगीः-

पूर्व में - जयपुर आन्धी मुख्य सड़क तक

पश्चिम में - पहाडी के साथ पुलिस थाना जमवारामगढ तक

उत्तर में - इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प तक (सैनी सर्विस स्टेशन तक)

दक्षिण में - कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ तक

तथा इन सीमाओं के अन्दर समस्त निर्मित भवन, दुकान एंव भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार विज्ञप्त करती है कि इस मण्डी क्षेत्र में उपरोक्त मुख्य मण्डी यार्ड की सीमाओं से लेकर ग्राम पंचायत जमवारामगढ की वर्तमान सीमाओं तक कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख पर या पश्चात् उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति किसी भी कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिए कोई स्थान नहीं जमायेगा, स्थापित करेगा या कायम रखे जाने की अनुमति नहीं देगा।

आगे राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड 10 के अन्तर्गत गौण मण्डी प्रांगण जमवारामगढ की उक्त सीमाओ को छोडकर ग्राम पंचायत जमवारामगढ के सम्पूर्ण क्षेत्र को ''मार्केट प्रोपर'' घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

लाल चन्द गुर्जर,

उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।